राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ रोड़ ज्योति नगर, जयपुर–302005

(दूरभाष नं0:– 0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेलः–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– प.4 (ई)(1)(6)निप/भर्ती–2023/(स्थापना)/अलेसे–III/6473 दिनांकः–18/8/25

"कार्यालय आदेश"

निम्नांकित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	नाम कनि0 लेखाकार (श्री/ श्रीमती/सुश्री)	परीक्षा का नाम	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है/परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1	देव कुमार जोशी (रोल नं.–783713)	एम.ए. फाईनल (स्वयंपाठी) विषयः–राजनीति विज्ञान वर्ष–2025	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	उपकोष कोष कार्यालय भूपालसागार, चित्तौडगढ।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुकि आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगीः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांकः– प.4 (ई)(1)(6)निप/भर्ती–2023/(स्थापना)/अलेसे–III/6474 दिनांकः–18/08/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबधित अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, बीकानेर।
2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)